

उनवान:- अजीत बनाम मदनमोहन वगै०

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

फर्द अहकाम

1/24 प्रार्थी की ओर से श्री मदन मोहन शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के नोटिस जरिए रजिस्टर्ड ए.डी. से तलब होकर पत्रावली दिनांक 12.02.2024 को पेश हो।

49699
30-1-24

(सुनीता मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

12/24 पत्रावली पेश हुई प्रार्थी वकील उपस्थित
अप्रार्थी न० 3, 4 की ओर से फौजदार सरकार उप०
प्रार्थी वकील ने अप्रार्थी न० 2 के विरुद्ध कोई कार्यवाही
नहीं चाहते बावत प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार
किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसलिये
अप्रार्थी न० 2 के विरुद्ध कार्यवाही दायर की गयी है।
अप्रार्थी न० 1 की ओर से श्री रमेश चन्द सैनी
एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल
पत्रावली किया गया। अप्रार्थी वकील ने जवाब पेश
नहीं कर सीधे ही बहस करते का कथन किया
जिस पर वकील ने सहमति प्रदान की, पत्रावली
वास्ते बहस दिनांक 13.2.24 को पेश हो।

(सुनीता मीना)

13/24 पत्रावली पेश हुई उग्रपक्ष वकील उप०, उग्रपक्ष
वकील की बहस सुनी गई, प्रार्थी वकील ने अपनी
बहस में कथन किया कि अप्रार्थी न० 1, प्रार्थी न० 1 के
पिता व प्रार्थी न० 2 के पिता, व अप्रार्थी न० 3 के पिता
हैं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित आराजीमत
अप्रार्थी न० 1 के विरुद्ध में प्राप्त हुई है जिसमें
अप्रार्थी न० 1, 1/3 व 1/6 हिस्से का स्वतन्त्र कारखाना
दर्ज रिकार्ड है जिसमें प्रार्थीगण नोथनल शेयर पर

(सुनीता मीना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम सि

दिनांक	फर्द अहकाम	पखण
30/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील ठाकुरप्रसादकावण ठपौरभट / वकील पक्षाक्षरप को पत्र के द्वारा सम्पन्न-याद वाले वदत दिनांक 9/9/25 को पेश हो।	
9/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील ठाकुरप्रसादकावण ठपौरभट / वाले वदत दिनांक 13.10.25 को पेश हो।	
13.10.25	पत्रावली पेश हुई। कदी एवं कदी कलेज कोर्ट उपस्थित नहीं कर-वार भावाय दिनांक। इसके उपरान्त भी कदी एवं कदी कलेज कोर्ट उपस्थित नहीं हुआ। वकील उक्त प्रांचका पर अस्थाई जिये-जमा कदी एवं कदी कलेज को अद्य पेशी अद्य हाजिरी में अशरित सिप जाता है, पत्रावली पेशा अद्य बेकर नकर कर कर शरियत अफत हो।	